छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर(छ०ग०)

एकल पीठ

रिट याचिका क्र. 3178/2006

याचिकाकर्ता : राम भजन पटेल पिता श्री पार्थ राम पटेल, आयु लगभग 62 वर्ष, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोंडका, विकासखंड खरसिया, रायगढ़(छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर(छ०ग०)
2) आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर(छ०ग०)
3) सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
4) कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।
5) रामाशंकर सिंह, द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर(छ०ग०)
6) एन. के. शर्मा, द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका।

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 3178/2006

याचिकाकर्ता : राम भजन पटेल

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता।

: राज्य के लिए श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

[दिनांक 30–10–2006 को पारित)

याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 7.3.1968 को जनजातीय कल्याण विभाग में उच्च श्रेणी के शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 5 और 6, जिन्हें क्रमशः दिनांक 9.12.1968 और 18.12.1969 को उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें दिनांक 21.9.1984 को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति मिली थी। तदनुसार, दिनांक 15.7.1994 को दिनांक 1.4.1994 की वरिष्ठता सूची(अनुलग्नक पी – 1) प्रकाशित की गई जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 8.5.1934 दिखाई गई है

जबकि याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 25.7.1944 है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.8.1995 (अनुलग्नक पी–2) को अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। एक और अभ्यावेदन दिनांक 2.11.1995 (अनुलग्नक पी–3) को भेजा गया था। उक्त अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 5 और 6, जिन्हें बाद में उच्च श्रेणी के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता से पहले व्याख्याता के पद पर पदोन्नत हो गए और उन्हें आदेश दिनांक 28.2.1994 और 16.9.1995 द्वारा वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। याचिकाकर्ता को अंततः दिनांक 31.7.2000 को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता ने छह वर्ष की अवधि के बाद दिनांक 27.6.2006 को यह याचिका दायर की है, जिसमें उत्तरवादी क्र. 1 से 4 को वरिष्ठता सूची में सुधार करने और याचिकाकर्ता को उस तिथि से पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को सभी परिणामी लाभों सहित पदोन्नति प्रदान की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यह याचिका छह साल की लंबी, अनुचित और अस्पष्टीकृत विलंब के बाद दायर की गई है। याचिकाकर्ता इस याचिका को दाखिल करने में हुए इतने दीर्घ विलंब को माफ करने का कोई कारण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।

3. यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सामान्यतः विलंब करने वालों, आलसी व्यक्तियों या उदासीन और सुस्त व्यक्तियों की सहायता नहीं करता है, क्योंकि विलंबित दृष्टिकोण से न केवल कठिनाई और असुविधा हो सकती है, अपितु तीसरे पक्ष के साथ अन्याय भी हो सकता है।

4. उच्चतम न्यायालय ने **जगदीश नारायण माल्टियार बनाम बिहार राज्य और अन्य**[1] के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

1 एआईआर 1974 एससी 2271

> "इस प्रकार अगस्त 1963 में अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि वास्तव में उसकी सेवाएं घोर दुराचार के कारण समाप्त कर दी गई थीं। इसके बाद लगभग तीन वर्षों तक वह शासन को एक के बाद एक ज्ञापन सौंपता रहा और 1966 के अंत तक उसने निष्कासन के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर नहीं की। उसके द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गए स्मारक दया याचिकाओं की प्रकृति के थे और उसे यह समझना चाहिए था कि कानून के तहत विधिवत रूप से निर्धारित न किए गए उपाय का अनुसरण करके वह एक उच्च मूल्य और महत्व के अधिकार को खतरे में डाल रहा था। अपने आचरण से उसने उच्च न्यायालय को अपने पक्ष में अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से अक्षम कर दिया। इसलिए हमारा अभिमत है कि उच्च न्यायालय याचिका पर विचार करने से इंकार करने में न्यायानुमत था।

5. उच्चतम न्यायालय ने **पी. एस. सदाशिवस्वामी विरुद्ध तमिलनाडु राज्य**[2] के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "ऐसा नहीं है कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है, और न ही ऐसा है कि ऐसा कोई मामला कभी नहीं हो सकता जहां न्यायालय एक निश्चित समय बीत जाने के बाद किसी मामले में हस्तक्षेप न कर सकें। लेकिन न्यायालयों के लिए यह विवेकपूर्ण और उचित होगा कि वे अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग उन व्यक्तियों के मामले में करने से इनकार कर दें जो अनुतोष हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रता से नहीं आते, जो चुपचाप खड़े रहते हैं और घटनाओं को घटित होने देते हैं तथा फिर न्यायालय में पुराने दावे प्रस्तुत करने और स्थापित मामलों को पलटने का प्रयास करते हैं।"

6. **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य विरुद्ध नंदलाल जायसवाल और अन्य**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

> अब, यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उचित रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है और उच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सामान्यतः विलंब करने वाले, आलसी या निष्क्रिय तथा सुस्त याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दाखिल करने में अत्यधिक विलंब होता है और ऐसे विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है,

---

2 एआईआर 1974 एससी 2271
3 (1986) 4 एससीसी 566 38

> तो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने और अनुतोष अनुदत्त करने से इनकार कर सकता है। उपेक्षा या विलंब के इस नियम का विकास कई कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय सामान्यतः रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत असाधारण उपाय का विलंबित रूप से आश्रय लेने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इससे भ्रम और लोक असुविधा कारित हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप अन्यायों की शृंखला उत्पन्न हो सकती है। तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और यदि अनुचित विलंब के बाद दायर की गई रिट याचिका पर रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो तृतीय पक्ष पर इसका प्रभाव न केवल कठिनाई और असुविधा के रूप में होगा अपितु इससे तृतीय पक्ष के साथ अन्याय भी होगा। जब उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो अस्पष्टीकृत देरी के साथ–साथ इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकारों का सृजन एक महत्वपूर्ण कारक है जो उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने या न करने का निर्णय लेते समय हमेशा ध्यान में रखा जाता है। हम इस निर्णय को इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भों से बोझिल करना आवश्यक नहीं समझते हैं, जिनमें बार–बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां अत्यधिक और अस्पष्ट विलंब होता है और इस बीच की अवधि में तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न होते हैं, वहां उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा, भले ही शिकायत की गई राज्य की कार्रवाई असंवैधानिक या अवैध हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम दीनबंधु मजूमदार और अन्य**[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :

> "हमारे विचार में, कर्मचारी द्वारा इस मामले में आपत्ति न उठाने का आचरण ही उच्च न्यायालय के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए कि वह इस तरह के आवेदनों को मौन सहमति, अनुचित विलंब और उपेक्षा के आधार पर स्वीकार न करे।"

8. **कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) और अन्य विरुद्ध के. थंगप्पन और अन्य**[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :

> "विलंब या उपेक्षा उन कारकों में से एक है जिन्हें उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। एक उपयुक्त प्रकरण में उच्च

4 (1995) 4 एस. सी. सी 172
5 (1995) 4 एस. सी. सी 172

> न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर सकता है यदि आवेदक की ओर से समय बीतने के बाद और अन्य परिस्थितियों के साथ अपने अधिकार का दावा करने में ऐसी लापरवाही या चूक होती है जो विपरीत पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनती है। यहां तक कि जहां मौलिक अधिकार अंतर्विष्ट है, मामला अभी भी न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर है, जैसा कि दुर्गा प्रसाद बनाम मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक के मामले में दर्शाया गया है। निःसंदेह, विवेकाधिकार का प्रयोग बुद्धिमता के साथ और युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए।"

9. वर्तमान प्रकरण में, वाद हेतुक पहली बार दिनांक 21.9.1984 को उद्भूत हुआ था जब याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तरवादीगण क्र. 5 और 6 को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था, उत्तरवादीगण संख्या 5 और 6 उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति पर कनिष्ठ थे। इसके बाद, द्वितीय वाद हेतुक तब उद्भूत हुआ था जब उन्हें दिनांक 28.2.1994 और 16.9.1995 को पदोन्नत किया गया था। इस याचिका में याचिकाकर्ता अपने कथित कनिष्ठ प्रतिवादी संख्या 5 और 6 से ठीक ऊपर के सभी पदों पर वरिष्ठता का दावा कर रहा है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.9.1984 के बाद से आज तक कोई कदम नहीं उठाया है तथा सुस्त और आलसी बना हुआ है। इस विलंबित दृष्टिकोण से निश्चित रूप से उन अन्य लोगों को कठिनाई और असुविधा होगी जिनके अधिकार बहुत पहले ही तय हो चुके हैं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से, इस न्यायालय में याचिका दायर करने में विलंब के आधार पर इसे विचारणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

केवीआर

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur